1

<u>न्यायालय</u>— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला—बालाघाट, (म०प्र०)

<u>आ0प्र0कमांक—1134 / 2013</u> संस्थित दिनांक—03.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा, तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म०प्र०) — — — — — <u>अभियोजन</u>

अमरिसंह पिता दुलमिसंह मेरावी, उम्र—37 वर्ष, निवासी—गर्राटोला दमोह, थाना बिरसा, जिला बालाघाट, (म0प्र0) — — — — — —

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक-08 / 12 / 14 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—30.10.2013 को करीब 1:40 बजे स्थान चन्दन चाय दुकान के पास आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी. 50/एम.सी.2319 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत बासनबाई को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि सिने दिनांक—30.10. 2013 को करीब 1:40 बजे स्थान चन्दन चाय दुकान के पास आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत आरोपी ने वाहन मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50/एम.सी.2319 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये आहत बासनबाई को टक्कर मार दी, जिससे आहत के दाहिने हाथ, भुजा, कमर में तथा नाक के पास चोट कारित हुई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी बासन बाई द्वार पुलिस थाना बिरसा में आरोपी के विरुद्ध दर्ज करायी गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—148/13 धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लखेबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाकर विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किये, वाहन जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आहत की चिकित्सीय रिपोर्ट में फ्रेक्चर होने से धारा—338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया, आरोपी को गिरफुतार कर उसके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टिया पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत बासनबाई ने आरोपी अमरिसंह से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी अमरिसंह के विरूद्ध धारा—338 भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा—279 भा.द.वि. का विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी की ओर से प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— 🧨 प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:—

1. क्या आरोपी दिनांक—30.10.2013 को करीब 1:40 बजे स्थान चन्दन चाय दुकान के पास आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोक मार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50 / एम.सी.2319 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष 😕

5— आहत बासनबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग एक साल पहले की है। वह घटना दिनांक को पैदल रजवंतीबाई के साथ ग्रामीण बैंक बिरसा जा रही थी, जब वह चंदन चाय दुकान के पास पहुंची तो एक मोटरसाइकिल चालक ने उसे पीछे से ठोस मार दिया, जिससे वह नीचे गिर गई, जिससे उसे दाहिने भुजा, कमर तथा नाक के पास चोट आयी थी। वह दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल चालक को नहीं देख पायी थी तथा मोटरसाइकिल का नम्बर भी नहीं देख पायी थी। उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में प्रदर्श पी—1 दर्ज करायी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में तथा बाद में शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का

मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने दुर्घटना कारित वाहन को तेज गित व लारपरवाही पूर्वक चलाकर उसे ठोस मार दिया गया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके द्वारा पुलिस को प्रदर्श पी—3 का कथन दिया गया था। साक्षी ने उसके द्वारा पुलिस रिपोर्ट लिखाते समय मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50 / एम.सी.2319 के चालक द्वारा तेज गित व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये ठोस मारने के कथन लिखाये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण साक्षी जो घटना में स्वयं आहत भी रही है, के द्वारा अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

6— चक्षुदर्शी साक्षी रजवंतीबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग एक साल पहले की है। वह घटना दिनांक को पैदल आहत बासनबाई के साथ ग्रामीण बैंक बिरसा जा रही थी, जब वे लोग चंदन चाय दुकान के पास पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल चालक ने आहत बासनबाई को पीछे से ठोस मार दिया, जिससे बासनबाई नीचे गिर गई थी और चोट आयी थी। उसने घटना के समय दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल चालक तथा मोटरसाइकिल का नम्बर नहीं देख पायी थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने उक्त वाहन को तेज गति व लारपरवाही पूर्वक चलाकर बासनबाई को ठोस मार दिया गया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके द्वारा पुलिस को प्रदर्श पी—4 का कथन दिया गया था। इस प्रकार साक्षी ने घटना की चक्षुदर्शी साक्षी होते हुये भी अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को कोई समर्थन प्रांत नहीं होता है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी किरण कुमार बाहे (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.10.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थीया बासनबाई की मौखिक रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक सोमलाल कावरे द्वारा आरोपी के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध क्रमांक—148 / 2013, धारा—279, 337 भा.द.वि. का प्रदर्श पी—1 लेख किया गया था, जिस पर प्रधान आरक्षक सोमलाल कावरे के हस्ताक्षर है, जिसे साथ में कार्य करने के कारण वह पहचानता है। दिनांक-30.10.2013 को उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रार्थीया बासनबाई की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी बासनबाई, साक्षी रजवंतीबाई, केनलाल, केहरसिंह, चंदन के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक-31.10.2013 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार एक मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50 / एम.सी.2319 मय दस्तावेज के जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा जप्तश्रदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण किया गया था, जिसकी रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उनके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

8— अभियोजन की ओर से जिन महत्वपूर्ण साक्षी आहत बासनबाई (अ.सा.1), चक्षुदर्शी साक्षी रजंवतीबाई (अ.सा.2) के रूप में पेश किया गया है, उनके द्वारा अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी को दुर्घटना कारित वाहन चलाये जाते हुये नहीं देखे जाने तथा उक्त वाहन का नम्बर न देखे जाने के कथन किये गये है। उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के तथ्य से भी इंकार किया है। मामले में अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है मात्र समर्थनकारी

साक्ष्य के रूप में अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य करायी गई है जिसके कथन से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को चालन किया जा रहा था। वास्तव में आरोपी को घटना के समय किसी भी साक्षी के द्वारा वाहन चलाते हुये नहीं देखे जाने से आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अनुसंधानकर्ता की समर्थनकारी साक्ष्य का मामले में महत्व नहीं रह जाता है।

9— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान में लोक मार्ग पर लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक—एम.पी.50 / एम.सी.2319 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक—एम.पी.50 / एम.सी.2319 मय दस्तावेज सहित रिजस्टर्ड स्वामी डेविड इंद्रवार पिता सिद्यूज निवासी गर्राटोला थाना बिरसा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट